

857
19-17-7-1311/1

पुस्तक

श्री राम राम श्रीराम
उप कवि
उत्तर प्रदेश साहित्य

पेडा 3

श्रीराम,
नेहरू जीड ग्राम मैन्डरी खुसैना,
2/19, श्री विहार आरती रोड, दरिगांव,
नई दिल्ली ।

विभाग प्रस्ताव-17

आवक, दिनांक, 15 जनवरी, 1967

विषय:- आकाश पब्लिशर प्रेस (उत्तर प्रदेश) प्रा. लि., आकाश की आकाशिक पुस्तकें एवं दिव्य जगत् के संस्करण हैं ।

श्रीराम,

मुझे यह कृपया ज्ञात दिलाना चाहता हूँ कि आकाश पब्लिशर प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तकें आकाश की नेहरू जीड ग्राम मैन्डरी खुसैना, नई दिल्ली में तबख्तवाला प्रकाशक हैं। यह राज्य सरकार की विभागीय प्रतियोगिता/प्राप्ति के अन्तर्गत आयातित हैं।

1. सामान्य प्रतियोगिता

- 1- शिक्षात्मक की पुस्तकें/पत्रिकाएँ हैं विभागात्मक द्वारा नकल एवं तदनुसंधान।
- 2- शिक्षात्मक में कम से कम 10 प्रतिशत रचनाएँ हैं-पत्रिका, विद्या, विचार, विवेक आदि के अन्तर्गत हैं। इन पुस्तकें/पत्रिकाएँ तथा अन्य पुस्तकें/पत्रिकाएँ विभागात्मक/विशेष विभागात्मक द्वारा ही जमा किए जा सकते हैं। विभागीय स्तरों में किए जायें।
- 3- संस्था की राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता।
- 4- संस्था के सभी अधिकारी/अध्यापिकाएँ प्रतिभागिता में। संस्था के अधिकारी तथा शिक्षार्थी/अध्यापिकाएँ के तकनीक प्रस्ताव प्रस्तावित/संस्थाओं के अधिकारियों की सुझाव देना/संस्थाओं के अधिकारियों के अन्तर्गत नए नए कार्य हैं।

MANAGER
AGRA PUBLIC SCHOOL
ARTONI, AGRA

PRINCIPAL
AGRA PUBLIC SCHOOL
ARTONI, AGRA

- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्मित किये जाएँ उनका पालन तैय्या के लिए उचित किया जाना ।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च होना ही होना चाहिए ।

1.81 विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध-समिति रचित होनी तथा माल-सम्पत्ति पर नियमावली के अन्तर्गत कर्तव्य की शरतों को पालना ।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक छात्र व अध्यापक के लिए उचित आवास का एक व्यवस्था, दो वैकल्पिक विद्यार्थी कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक - कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- छात्राचार्यों की सेवा-शर्तें समझी जायेंगी और उन्हें स्थायित्व प्राप्त आवासों, उचित माध्यमिक विद्यालयों के छात्राचार्यों की अनुसूची तथा नियुक्ति के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4- विद्यालय का सेवा-शर्तें निर्धारित प्रपत्रों/परिशिष्टों में रखा जायेगा ।

2- उक्त शर्तों का एक निश्चित समय के भीतर पूराकर उनका पालन किया जाना चाहिए और शिक्षा समिति उक्त शर्तों को तोड़ने की शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आवासित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा

कच्ची पं.

1970/15-17-87-सद.दिनांक
अपतपित

no 857 111/15-17-87-सद.दिनांक

प्रतिनिधि निम्नांकित जो सुनायी प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 2- उप निदेशक शिक्षा, आगरा क०, आगरा ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।
- 4- निरीक्षक, क० प्र०, भारत सरकार विद्यालय, उ०प्र०, क०, आगरा ।
- 5- प्रबन्धक आगरा पब्लिक स्कूल, विद्यालय नगर आरुणा, आगरा ।


MANAGER
AGRA PUBLIC SCHOOL
ARTONI, AGRA


PRINCIPAL
AGRA PUBLIC SCHOOL
ARTONI, AGRA

अपतपित,
1970/15-17-87-सद.दिनांक
अपतपित ।